"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2006 — भाद्र 17, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-48/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1628.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री हैदर भाठी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-48/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1629.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. डॉ. चौलेश्वर कुमार चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-48/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1630.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री गुरूमुख सिंह होरा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-48/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1631.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री गणेश राम साहू को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-48/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1632.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-48/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1633.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री मोहम्मद हुसैन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-88/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1634.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. बिब्बान बेगम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-88/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1635.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्यामा देवी निवरे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-88/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1636.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. कु. संतोष शर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-88/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1637.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती सुशीला रावटे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-88/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1640.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. किरण यादव को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.